प्रेस नोट 20-04-2021

1. आज दिनांक 20.04.2021 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम समदपुर भावा से शराब की दुकान के पीछे बने कमरे से नई शराब की शीशियों से शराब निकाल कर पुरानी शीशियों में भरकर अपमिश्रित करते हुए अभियुक्तगण 1.रामचन्द्र जायसवाल पुत्र नन्दकिशोर जायसवाल नि0 मोहल्ला सुभाषनगर कस्बा रसूलाबाद थाना आसीवन जनपद उन्नाव 2. पप्पू जायसवाल पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम शाहपुर तोंदा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव 3. रामकिशोर जायसवाल पुत्र सूबेदार नि0 शाहपुर तोन्दा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 22 पेटी (990 पौवा) अवैध देशी शराब, 68 खाली शीशियां, 470 ढक्कन , 95 होलोग्राम, 05 खाली गत्ता, 03 प्लास्टिक की बाल्टी, 02 प्लास्टिक के मग बरामद किये गये। अभियुक्तगणों द्वारा नई शराब की शीशियों से शराब निकाल कर पुरानी शीशियों में भरकर अपमिश्रित करते हुए अधिक शीशियां बनाकर बेच दिया जाता था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हसनगंज पर उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 103/2021 धारा 420/467/468/471 भा0दं0वि0 व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की जा रही है।